

सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला

जमशेदपुर - 831 007

सं.- सी.एस.आई.आर.-रा.धा.प्र.(24)2022/गोप.

दिनांक : 09.01.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकारी संस्थानों के कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक-उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिलोष (Prevention of sexual harassment of women at the workplace of Central Government Institutions, prohibition and redressal) के संबंध में।

केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक-उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिलोष) अधिनियम 2013 (खण्ड-II के धारा 4) एवम् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2013 के परिप्रेक्ष्य में निदेशक, सी.एस. आई.आर.-रा.धा.प्र. द्वारा "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 17.02.2025 तक प्रभावी है.

उपरोक्त क्रम में, अब डॉ. सुनाती मोहंती, Pr. Scientist के स्थान पर डॉ. अर्पिता घोष, Pr. Scientist आंतरिक शिकायत समिति की सदस्या होंगी। उनका कार्यकाल 17.02.2025 तक प्रभावी रहेगा। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात जारी किया जा रहा है। शेष सभी नियम और शर्तें समान रहेंगी।

आंतरिक शिकायत समिति उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम एवम् नियमों के तहत वर्णित प्रक्रियाओं एवम् दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिकायतों का निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिलोष संबंधी कार्य करेगी।

(आदित्य मैनक)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रति : 1. शिकायत समिति के सभी सदस्य 2. सभी प्रभाग/ अनुभाग प्रमुख 3. निदेशक महोदय के निजी सचिव 4. सूचना पट्ट

सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला

जमशेदपुर - 831 007

सं.- सी.एस.आई.आर.-रा.धा.प्र.(24)2022/गोप.

दिनांक : 02.06.2022

कार्यालय ज्ञापन


विषय : केन्द्रीय सरकारी संस्थानों के कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक-उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष (Prevention of sexual harassment of women at the workplace of Central Government Institutions, prohibition and redressal) के संबंध में।

केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक-उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (खण्ड-II के धारा 4) एवम् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2013 के परिप्रेक्ष्य में निदेशक, सी.एस. आई.आर.-रा.धा.प्र. द्वारा "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया गया है। जिसके माननीय सदस्य निम्नलिखित हैं:

- i) डॉ. संचिता चक्रवर्ती , Chief Scientist - अध्यक्ष
- ii) डॉ. सुशांता कुमार साहू , Sr. Pr. Scientist - सदस्य
- iii) डॉ. गोपी किशोर मंडल , Pr. Scientist - सदस्य
- iv) श्रीमती सुनाती मोहंती, Sr. Scientist, सदस्य
- v) डॉ. शुभ्रा द्विवेदी, NGO-SEEDS, जमशेदपुर - वाह्य (External) सदस्य
- vi) प्रशासनिक अधिकारी , सदस्य, सदस्य-संयोजक

आंतरिक शिकायत समिति उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम एवम् नियमों के तहत वर्णित प्रक्रियाओं एवम् दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिकायतों का निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष संबंधी कार्य करेगी।

उपरोक्त समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का रहेगा जो कि 17.02.2025 तक प्रभावी रहेगा।


एस. बनर्जी

(प्रशासनिक अधिकारी)

प्रति : 1. शिकायत समिति के सभी सदस्य 2. सभी प्रभाग/ अनुभाग प्रमुख 3. निदेशक महोदय के निजी सचिव 4. सूचना पट्ट 5. चारदर्शिता पोर्टल